

मूल्य कर सहित रूपये एक सौ पचास (रु.150) मात्र

उत्तर प्रदेश वन निगम  
प्रयागराज / झाँसी क्षेत्र



तेन्दू पत्ता की बिक्री हेतु  
बिक्री सूची तथा निविदा फार्म एवं बिक्री की सामान्य शर्तें

• • • • •

निविदा देने की अन्तिम तिथि व समय  
15 जून, 2019 को अपरान्ह 3.00 बजे तक

• • • • •

निविदा खुलने की तिथि व समय  
15 जून, 2019 को अपरान्ह 3.30 बजे से

• • • • •

निविदा देने व खुलने का स्थान

1. कार्यालय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, मिर्जापुर
2. कार्यालय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज
3. कार्यालय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, कर्वी
4. कार्यालय, प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी
5. कार्यालय, विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, वाराणसी
6. कार्यालय, प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, झाँसी
7. कार्यालय, प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीबाबाद, सहारनपुर

**तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची, निविदा सूचना, निविदा द्वारा बिक्री की शर्तें एवं निविदा प्रपत्र**

1. वर्ष-2018 सीजन की अवशेष व पूर्व वर्षों की अवशेष तेन्दू पत्ता लाटों की लाटवार विक्रय सूची
2. तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु निविदा सूचना – निविदा तिथि 15.06.2019
3. निविदा द्वारा तेन्दू पत्ता बिक्री की शर्तें
4. तेन्दूपत्ता की बिक्री हेतु निविदा-प्रपत्र

रेनूकूट लौगिंग प्रभाग, रेनूकूट

वर्ष-2018 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र०सं०	लाट सं०	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम
			वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6
1	र- 11 / 18	केवाल	2191	1907.400	सुरेन्द्र प्रसाद गोदाम, बिन्दुमगंज
2	र- 26 / 18	गोइठा (बैरखड़)	268	213.900	प्रिया दुबे गोदाम दुद्धी
3	र- 49 / 18	मचबन्धवा-ब	884	804.590	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
4	र- 56 / 18	बैना	919	891.800	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
5	र- 57 / 18	देवरी	222	177.550	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
6	र- 58 / 18	जामपानी	554	517.825	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
7	र- 60 / 18	वियहवा	1287	977.730	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
8	र- 62 / 18	मजीठ-अ	571	485.782	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
9	र- 63 / 18	मजीठ-ब	601	533.683	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
10	र- 64 / 18	महुली-अ	1605	1369.847	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
11	र- 65 / 18	महुली-ब	2121	1811.098	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
12	र- 66 / 18	महुली-ब	1764	1628.663	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
13	र- 68 / 18	जरहा पू० ब	716	651.265	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
14	र- 69 / 18	महुलाइनसोत	1483	1172.364	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
15	र- 72 / 18	बेलहत्थी / रानीताली	921	752.467	संजय / शकुन्तला जायसवाल गोदाम, दुद्धी
16	र- 94 / 18	जरहा प०अ / जरहा प० ब	1225	1026.904	प्रिया दुबे गोदाम दुद्धी
17	र- 107 / 18	अमरसोता	1563	1185.300	एस०डी०मिश्रा, गोदाम द्वितीय सलखन
18	र- 116 / 18	अगोरी	1113	844.164	एस०डी०मिश्रा, गोदाम द्वितीय सलखन
	<b>18 लाटे</b>	<b>योग</b>	<b>20008</b>	<b>16952.332</b>	

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग, मीरजापुर

वर्ष- 2018 तेन्दू पत्ता सीजन

सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई का नाम	भण्डारित मात्रा		भण्डारित गोदाम का नाम
			वा०बो०	मा०बो०	
1	म-02 / 18	सुअर स्रोत	561	458.525	चुर्क, सोनभद्र
2	म-03 / 18	दरेव	1241	988.550	चुर्क, सोनभद्र
3	म-09 / 18	चिरुई	1447	1122.625	चुर्क, सोनभद्र
4	म-11 / 18	मऊ II	797	656.567	चुर्क, सोनभद्र
5	म-15 / 18	खोराडीह / राजगढ़	110	106.220	चुर्क, सोनभद्र
6	म-23 / 18	सोनगढ़ा	641	634.400	चकवाल, मिर्जापुर
7	म-24 / 18	कर्ी अ	431	389.702	चकवाल, मिर्जापुर
8	म-29 / 18	अतरैला	32	26.000	चकवाल, मिर्जापुर
	<b>08 लाटें</b>	<b>योग</b>	<b>5260</b>	<b>4382.589</b>	
<b>वर्ष 2017 सीजन की सी-1 स्टाक की लाटें</b>					
1	24 / 17-18	सी-1 स्टाक	100	0.000	मांची रेन्ज परिसर
2	25 / 17-18	सी-1 स्टाक	25	0.000	मांची रेन्ज परिसर
3	26 / 17-18	सी-1 स्टाक	24	0.000	मांची रेन्ज परिसर
	3 लाटें	<b>योग</b>	<b>149</b>	<b>0.000</b>	
<b>वर्ष 2018 सीजन की सी-1 स्टाक की लाटें</b>					
1	34 / 18-19	सी-1 स्टाक	10	7.600	लालगंज रेन्ज परिसर
	1 लाटे	<b>योग</b>	<b>10</b>	<b>7.600</b>	
	<b>12 लाटें</b>	<b>कुल योग</b>	<b>5419</b>	<b>4390.189</b>	

**वाराणसी लौगिंग प्रभाग, वाराणसी**  
**वर्ष- 2018 तेन्दू पत्ता सीजन**  
**सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें**

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई का नाम	भण्डारित मात्रा		भण्डारित गोदाम का नाम
			वा०बो०	मा०बो०	
1	व-01 / 18	शिकारगंज	1154	1149.220	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
2	व-05 / 18	लेहड़ा	986	852.755	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
3	व-06 / 18	छीतमपुर	460	453.380	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
4	व-08 / 18	नौगढ़ ब	674	540.775	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
5	व-09 / 18	औरवाटाड़	931	755.415	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
6	व-10 / 18	अमदहा	901	707.131	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
7	व-14 / 18	गंगापुर	235	175.875	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
8	व-15 / 18	हरदहवा	166	132.400	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
9	व-17 / 18	भैसोड़ा	189	144.065	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
10	व-19 / 18	उ०पण्डी / द०पण्डी	99	77.500	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
11	व-20 / 18	चिकनी	192	150.100	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
12	व-21 / 18	पढ़ौती	107	79.340	विभूति ग्लास वर्क्स रामनगर, वाराणसी
	<b>12 लाटें</b>	<b>योग</b>	<b>6094</b>	<b>5217.956</b>	
	<b>42 लाटें</b>	<b>कुल योग प्रयागराज क्षेत्र</b>	<b>31521</b>	<b>26560.477</b>	

## कर्वी लौगिंग प्रभाग, कर्वी

वर्ष-2018 तेन्दू पत्ता सीजन  
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क0सं0	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा0बो0	मा0बो0	
1	क-3 / 18	चूल्ही	125	81.060	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
2	क-5 / 18	गढचपा अ	429	317.730	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
3	क-8 / 18	बगरेही	1078	762.820	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
4	क-9 / 18	भौरी	313	225.750	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
5	क-10 / 18	इटवा	1616	1308.813	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
6	क-11 / 18	माराचन्द्रा	981	729.270	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
7	क-12 / 18	बहिलपुरवा	105	81.175	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
8	क-13 / 18	सिमरदहा ।	1084	797.707	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
9	क-14 / 18	सिमरदहा ॥	1020	758.880	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
10	क-15 / 18	सरहट ब	1069	774.460	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
11	क-18 / 18	रिहुटिया	1017	695.682	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
12	क-19 / 18	बबुरी ।	1216	1014.144	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
13	क-20 / 18	बबुरी ॥	943	787.275	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
14	क-21 / 18	गढवा ।	925	723.079	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
15	क-22 / 18	गढवा ॥	922	725.200	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
16	क-25 / 18	वरियारी कला	1234	959.290	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
17	क-26 / 18	मनका छतैनी / कटैया डाडी	631	508.145	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
18	क-27 / 18	कलछिया/गुईया कला	752	617.190	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
19	क-28 / 18	अगरहुण्डा	1490	1138.360	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
20	क-29 / 18	गढचपा (ब)	1043	712.470	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
21	क-30 / 18	इटवा ।	840	677.040	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
22	क-31 / 18	इटवा ॥	765	616.987	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
23	क-32 / 18	देशाह	589	447.770	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
24	क-34 / 18	मडैयन अ ॥	1091	752.365	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
25	क-35 / 18	मडैयन ब ।	1150	799.350	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
26	क-36 / 18	मडैयन ब ॥	995	704.821	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
27	क-37 / 18	मडैयन स	1393	932.795	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा

28	क-38 / 18	ददरी ।	1124	788.917	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
29	क-39 / 18	ददरी ॥	1281	954.125	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
30	क-41 / 18	रुकमा खुर्द	713	518.375	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
31	क-43 / 18	खम्हरिया अ।	1834	1312.753	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
32	क-44 / 18	खम्हरिया अ॥	1528	1135.877	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
33	क-45 / 18	खम्हरिया ब	960	646.815	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
34	क-46 / 18	दुगवां	1431	1074.592	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
35	क-50 / 18	पथरा छतैनी	386	263.935	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
36	क-52 / 18	कुलपहाड / जिगनी / बघौरा / महुआवांध / सालट	379	330.085	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
	<b>36 लाटें</b>	<b>योग</b>	<b>34452</b>	<b>25675.102</b>	

### वर्षा से प्रभावित लाटें

क्र०सं०	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा०बो०	मा०बो०	
1	क-53 / 18	रामनगर सेक्शन	13	11.500	सुलेमान गोदाम मानिकपुर
2	क-54 / 18	कर्वी / रामनगर / बर गढ	41	32.662	टी०पी०गुप्ता गोदाम मानिकपुर
3	क-55 / 18	खम्हरिया अ / दुगवां	44	35.000	
	<b>3 लाटें</b>	<b>योग</b>	<b>98</b>	<b>79.162</b>	
	<b>39 लाटें</b>	<b>कुल योग</b>	<b>34550</b>	<b>25754.264</b>	

ललितपुर लौगिंग प्रभाग, ललितपुर

वर्ष-2018 तेन्दू पत्ता सीजन  
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क0सं0	लाट संख्या	इकाई	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
			वा0बो0	मा0बो0	
1	ल-1/18	सोल्दा	1218	1050.575	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
2	ल-2/18	धौरीसागर	650	615.380	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
3	ल-3/18	गौठरा	278	244.660	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
4	ल-4/18	पिसनारी	1019	916.190	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
5	ल-7/18	दिदौनिया	508	494.705	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
6	ल-8/18	सौरई	1285	1182.275	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
7	ल-9/18	बम्हौरी खुर्द	502	468.780	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
8	ल-10/18	गिरार/गिदवाहा	547	523.675	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
9	ल-11/18	गौना	900	702.245	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
10	ल-12/18	दौलतपुर	653	519.460	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
11	ल-13/18	नाराहट	1043	889.120	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
12	ल-14/18	पारौल	1313	1058.985	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
13	ल-15/18	पारौल	907	721.805	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
14	ल-17/18	पठराई	1024	820.125	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
15	ल-18/18	कनपुरा	1241	1046.610	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
16	ल-21/18	सेपुरा	749	673.600	त्रिपाठी ब्रदर्स गोदाम ललितपुर
	<b>16 लाटें</b>	<b>योग</b>	<b>13837</b>	<b>11928.190</b>	
	<b>55 लाटें</b>	<b>कुल योग झाँसी क्षेत्र</b>	<b>48387</b>	<b>37682.454</b>	
	<b>97 लाटें</b>	<b>कुल योग प्रयागराज एवं झाँसी क्षेत्र</b>	<b>79908</b>	<b>64242.931</b>	

पत्रांक -1000 /ते०प०/बिक्री/2018  
सेवा में,

/ दिनांक 01.06.2019

मे० अनु इमेज मेकर्स  
एडवरटाइजिंग प्रा० लि०,  
प्रयागराज।

विषय- **तेन्दू पत्ता बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।**

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 02.06.2019 को कम से कम स्थान में केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।-

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, लखनऊ, वाराणसी, एवं कानपुर संस्करण।
3. दैनिक भाष्कर, रायपुर एवं भोपाल।
4. अमर उजाला, मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।



उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाईन्स, प्रयागराज (इलाहाबाद)

दूरभाष एवं फ़ैक्स - +91532-2427536

तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु निविदा सूचना - निविदा तिथि 15.06.2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018 सीजन में संग्रहीत तेन्दू पत्ता की व पूर्व की अवशेष लाटों की बिक्री हेतु दिनांक 15.06.2019 को निविदाएं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/लौगिंग अधिकारी, मिर्जापुर, प्रयागराज, कर्वी एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/ विक्रय अधिकारी, दुद्धी, वाराणसी, झाँसी एवं नजीबाबाद (सहारनपुर) के कार्यालयों में अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उन्हीं कार्यालयों में उक्त तिथि 15.06.2019 को ही अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। किसी भी प्रभाग की किसी भी लाट की निविदा उक्त किसी भी कार्यालय में **निविदा पेटी में अथवा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से** दी जा सकती है, परन्तु निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त निविदा से सम्बन्धित बिक्री सूची व बिक्री शर्तें एवं निविदा प्रपत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज, झाँसी क्षेत्र, लखनऊ अथवा उनके अधीन प्रभागीय विक्रय प्रबन्धकों/ विक्रय अधिकारियों के कार्यालय से दिनांक 07.06.2019 से निर्धारित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा सूचना, बिक्री सूची व बिक्री शर्तें एवं निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट **www.upforestcorporation.co.in** पर भी उपलब्ध रहेगी। इच्छुक निविदादाता वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु इसके लिये उन्हें अपने **निविदा प्रपत्र के साथ एक सौ पचास रुपये (₹150.00) मात्र का निविदा प्रपत्र शुल्क, जो नकद जमा रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज/इलाहाबाद के पक्ष में हो तथा प्रयागराज/इलाहाबाद पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय

क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
प्रयागराज



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक, विपणन/उत्पादन/पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/ प्रयागराज।
5. क्षेत्रीय प्रबन्धक, झाँसी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं ज्योतिबा फुले नगर।
8. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग अधिकारी/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज एवं झाँसी क्षेत्र।
9. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीवाबाद (सहारनपुर)।
10. वेबसाईट, उत्तर प्रदेश वन निगम।
11. तेन्दू पत्ता क्रेता गण को डाक से।
12. कार्यालय सूचना पट।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,  
प्रयागराज

## उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता की निविदा द्वारा विक्री हेतु शर्तें

पत्ता का ग्रेड एवं "जहाँ भी है जैसे है" के तहत विक्री

1- (अ) वन निगम द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता को गोदामों में निम्नलिखित दो श्रेणियों में अलग-अलग भण्डारित किया गया है।

1. सामान्य ग्रेड (ए):- ग्रेड-बी के अतिरिक्त अन्य समस्त पत्ता।

2. वर्षा से प्रभावित या पानी से खराब ग्रेड (बी):- वर्षा प्रभावित बोरों का ऐसा पत्ता जो भीग जाने के कारण मटमैला / काला हो गया है।

सामान्य ग्रेड की पत्ती गोदामों में इकाईवार एवं लाटवार तथा वर्षा से प्रभावित श्रेणी की पत्ती इकाईवार/सेक्शनवार एवं लाटवार भण्डारित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लाट की विक्री या निकासी "जहाँ भी है जैसे है" के तहत की जायेगी एवं वर्गीकरण के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। इच्छुक निविदादाता निविदा देने से पूर्व पत्ते का भली-भाँति निरीक्षण करके पत्ते की गुणवत्ता का आंकलन स्वयं करके निविदा दें। पत्ते की गुणवत्ता या श्रेणी के संबंध में कोई शिकायत बाद में मान्य या स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ब) शर्त संख्या 1(अ) के अनुसार लाट की विक्री "जहाँ भी है जैसे है" के तहत होते हुए भी निगम को आवश्यकतानुसार लाट के तेन्दू पत्ता बोरो की पल्टाई, तौल एवं जांच आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसे "जहाँ भी है जैसे है" के शर्त का कोई उल्लंघन नहीं समझा जायेगा।

(स) गोदाम में विक्री हुई लाट को यदि किसी परिस्थितिवश दूसरे गोदाम में स्थानान्तरण करना हो तो वन निगम को ऐसा करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व क्रेता को उसके द्वारा अनुबन्धित पते पर प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी।

### **छंटार्ई का प्रतिबन्ध:**

2- लाट के बोरो की निकासी लगी हुई छल्ली में एक तरफ से दी जायेगी। निकासी के दौरान बोरो को काटकर पत्ता या बोरा छोटने की अनुमति नहीं होगी। वह क्रेता जो लाट की निकासी छल्ली में से अपनी सुविधानुसार लेना चाहते हैं वह लाट का पूरा मूल्य एकमुश्त जमा करके ऐसा कर सकते हैं। परन्तु निकासी की अवधि इन विक्री शर्तों के अनुसार ही होगी।

### **निविदा सूचना तथा निविदा की विधि:**

#### **निविदा देने की तिथि तथा स्थान:**

3- तेन्दू पत्ती की निविदा द्वारा विक्री हेतु लिफाफा बन्द निविदाएं आमंत्रित करने हेतु सूचना समाचार पत्रों तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों से विज्ञापित करायी जायेगी। किसी भी तेन्दू पत्ती की विक्री से संबंधित प्रकाशित निविदा सूचना इन विक्री शर्तों का एक भाग होगी। निविदा सूचना में निविदा की तिथि, निविदा डालने तथा खुलने का स्थान एवं समय अंकित होगा। किसी भी प्रभाग की किसी भी लाट की निविदा उक्त निविदा सूचना में वर्णित किसी भी स्थल पर दी जा सकती है।

#### **निविदा दिया जाना:**

4- लिफाफा बन्द निविदाएं निविदा पेटी में अथवा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय तक दी जा सकती है। निविदा सूचना में निर्धारित तरीकों से भिन्न अथवा निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

#### **दस लाटों के लिए एक निविदा प्रपत्र का प्रयोग किया जाना:**

5- (अ) एक निविदा प्रपत्र में अधिकतम 10 लाटों तक की निविदा दी जा सकती है तथा लिफाफे के ऊपर तेन्दू पत्ता निविदा मय निविदा तिथि दर्शाते हुए लिखा होना चाहिए। निविदा प्रपत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र, झांसी क्षेत्र अथवा उक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत किसी भी प्रभागीय लौगिंग एवं विक्रय प्रबन्धकों/अधिकारियों के कार्यालय से निविदा सूचना में सूचित दिनांक से निर्धारित मूल्य के भुगतान के पश्चात् कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा सूचना विक्री सूची व बिक्री शर्तें एवं निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट

**www.upforestcorporation.co.in** पर भी उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता वेबसाईट पर उपलब्ध टेण्डर फार्म का उपयोग कर सकते हैं परन्तु इसके लिये उन्हें अपने **टेण्डर फार्म के**

साथ 150/- रूपये का निविदा फार्म शुल्क (कर सहित), नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। डिमान्ड ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० वन निगम प्रयागराज/इलाहाबाद के पक्ष में हो तथा इलाहाबाद पर देय होना चाहिए। उक्त नकद प्राप्ति रसीद/ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त ड्राफ्ट पृथक से संलग्न न होने पर निविदा प्रपत्र का मूल्य बंधक धनराशि हेतु प्रदत्त ड्राफ्ट से समायोजित कर लिया जायेगा और बंधक धनराशि उक्त सीमा तक कम हो जायेगी। निविदाएँ निर्धारित तिथि व समय पर क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा गठित समितियों द्वारा महा प्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) उ०प्र० वन निगम द्वारा नामित पर्यवेक्षकों की निगरानी में खोली जायेगी।

(ब) यदि कोई निविदादाता एक ही लाट के लिए एक से अधिक निविदा देता है तो उसके द्वारा दी गई केवल उच्चतम निविदा दर पर ही विचार किया जायेगा।

(स) प्रत्येक निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह विक्री-सूची को भली-भाँति देखकर लौगिंग प्रभाग का नाम लाट संख्या व वर्ष, इकाई का नाम एवं वास्तविक बोरों की संख्या स्वच्छ एवं स्पष्ट अंकित करेगा। यदि इनमें कोई भिन्नता होती है तो दिये गये प्रस्ताव की लाट संख्या को ही अन्तिम माना जायेगा।

निविदा के साथ बन्धक राशि:

6- (अ) प्रत्येक लाट की निविदा हेतु सामान्य ग्रेड के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिए एक सौ अठारह रूपया (जी०एस०टी०सहित) प्रति वास्तविक बोरा की दर से तथा वर्षा से प्रभावित ग्रेड के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिए उनसठ रूपया (जी०एस०टी०सहित) प्रति वास्तविक बोरा की दर से बन्धक धनराशि देय होगी। इच्छुक निविदादाता अपनी सुविधानुसार किसी भी निविदा केन्द्र पर किसी भी विक्रय प्रभाग की लाट के लिए निविदा दे सकता है। निविदा प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम, अथवा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० वन निगम, प्रयागराज/इलाहाबाद के नाम निविदा प्रपत्र में जितने लाटों की निविदा दी जाय उसके अनुरूप बन्धक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का, संलग्न किया जायेगा। एक क्रेता द्वारा दिये गये समस्त निविदाओं से संबंधित बंधक धनराशि का एक संयुक्त ड्राफ्ट भी स्वीकार किया जा सकता है।

(ब) यदि किसी क्रेता द्वारा जितनी लाटों की निविदा दी गयी है उसके अनुसार पूर्ण बंधक धनराशि ड्राफ्ट के रूप में संलग्न नहीं की गयी है, तो कम से कम निविदत्त मात्रा के 10 प्रतिशत बोरों की पूर्ण बन्धक धनराशि निर्धारित रूप में लगाना अनिवार्य होगा। ऐसी दशा में वन निगम को अधिकार होगा कि क्रेता द्वारा दिये गये समस्त लाटों की निविदा में से किसी भी लाट में बंधक धनराशि का समायोजन कर ले। परन्तु यदि क्रेता द्वारा उक्त सीमा से अधिक लाटों के बोरे के लिए निविदा दी जाती है तो ऐसे निविदादाता की समस्त लाटों की निविदा को विधिमान्य निविदा न मानते हुए उसके द्वारा दी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(स) यदि उप नियम (ब) के अनुसार मात्र किसी एक लाट में पूर्ण बंधक धनराशि समायोजन हेतु उपलब्ध नहीं होती है तो वन निगम हित में 40 प्रतिशत या उससे अधिक उपलब्ध बंधक राशि का उपयोग करते हुए लाट के अनुमोदन हेतु निगम द्वारा विचार किया जा सकता है।

(द) यदि निविदादाता पूर्व में निगम के पास अपनी जमा धनराशि (भार मुक्त) को बंधक धनराशि के रूप में देना चाहता है तो निविदादाता को उत्तर प्रदेश वन निगम के संबंधित प्रभाग के प्रभागीय प्रबंधक से इस जमा धनराशि तथा उसके भारमुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर मूल में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उक्त धनराशि बंधक धनराशि के रूप में मान्य नहीं होगी।

(य) यदि निविदादाता द्वारा जमा बंधक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या पे-आर्डर इलाहाबाद के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर देय हो तो उसको स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार वन निगम को होगा।

निविदा प्रपत्र में विवरण देना तथा हस्ताक्षर करना:

7- निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर लौगिंग प्रभाग का नाम, लाट संख्या, इकाई/सेक्शन का नाम, मात्रा (वास्तविक बोरा में) तथा निविदा दर रूपया प्रति किलोग्राम (अंको व शब्दों में) का स्पष्ट उल्लेख करते हुए वांछित स्थान पर निविदादाता को अपना हस्ताक्षर करना होगा। यदि निविदा प्रपत्र

भरते समय कोई संशोधन किया जाता है तो उसे काटकर स्पष्ट रूप से लिखना होगा तथा ऐसे संशोधन पर निविदादाता को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना होगा। यदि प्रस्तावित निविदा दर अंको एवं शब्दों में भिन्न-भिन्न हो तो उच्चतम दर ही वैध दर मानी जायेगी।

#### सही पते का उल्लेख करना:

8- पत्राचार हेतु यदि निविदादाता अपने स्थायी पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर पत्र आदि प्राप्त करना चाहे तो वह ऐसे पते का स्पष्ट उल्लेख निविदा प्रपत्र में कर देंगे। उक्त पते पर भी भेजे गये रजिस्टर्ड पत्र क्रेता को प्राप्त समझे जायेंगे। यदि निविदा प्रपत्र में उल्लिखित पत्राचार के पते में कोई परिवर्तन हो तो निविदादाता रजिस्टर्ड पत्र द्वारा उसकी सूचना संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को देंगे। किसी भी समय छान-बीन करने पर यदि निविदा-दाता का पता गलत पाया जाता है तो संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उसका नाम काली सूची में अंकित (अधिकतम तीन वर्ष के लिए) कर दिया जायेगा।

#### निविदादाता की हैसियत का उल्लेख किया जाना:

9- निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को जिस हैसियत से वह हस्ताक्षर कर रहा है उसका उल्लेख करना होगा। 'निविदादाता का नाम' के कालम में निविदादाता व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कम्पनी जैसी भी स्थिति हो, का नाम अंकित करना होगा।

#### निविदा देने व खुलने के समय सदाचरण:

10- यदि कोई निविदादाता निविदा देने या निविदा खुलने के समय किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या शान्ति भंग करने का प्रयास करता है तो उसके द्वारा दी गयी निविदा अवैध घोषित करके निविदा के साथ जमा बंधक धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे निविदादाता को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये काली सूची में संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दर्ज किया जा सकता है और अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

#### निविदा स्वीकृति की सूचना:

11- निविदा स्वीकृति की सूचना सफल निविदादाता को सामान्यतया संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के कार्यालय से रजिस्टर्ड पत्र/पत्रवाहक द्वारा क्रेता के निविदा प्रपत्र में उल्लिखित पत्राचार के पते पर निविदा खुलने की तिथि से 40 दिन के अन्दर दे दी जायेगी। उक्त स्वीकृति की सूचना यदि सफल निविदादाताओं को निविदा की तिथि से 40 दिन के अन्दर नहीं प्राप्त होती है तो उन्हें चाहिए कि वे संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के कार्यालय से संपर्क कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा अन्य जैसी भी स्थिति हो, की सूचना उन्हें प्राप्त हुई मानी जायेगी, परन्तु किन्हीं कारणवश, जो वन निगम के नियंत्रण से परे हो, वन निगम स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने में अपने को असमर्थ पाये तो ऐसी परिस्थिति में 40 दिन की अवधि में वह अवधि भी जुड़ जायेगी, जितनी अवधि तक वन निगम उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत स्वीकृति/अस्वीकृति या किसी भी प्रकार की सूचना देने में असमर्थ रहा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया उत्तर प्रदेश वन निगम का पत्र उसे प्राप्त समझा जायेगा। संबंधित विक्रय प्रभाग के सूचना पट पर निविदा स्वीकृति की सूचना चस्पा कर दी जायेगी और इसे उक्त की सूचना समझा जायेगा। निविदा परिणाम उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट [www.upforestcorporation.co.in](http://www.upforestcorporation.co.in) पर भी उपलब्ध होगी।

#### एक ही दर के लिये नीलाम/लाटरी पद्धति:

12- यदि एक ही लाट पर दो या उससे अधिक निविदादाताओं की दरें उच्चतम एवं बराबर हों तो ऐसी स्थिति में लाट की विक्री उन्हीं क्रेताओं के मध्य नीलाम द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में इनके द्वारा की जायेगी जिसमें प्रारम्भिक बोली निविदा की प्राप्त उच्चतम दर होगी। नीलाम द्वारा निस्तारण न हो पाने की स्थिति में लाटरी पद्धति द्वारा निस्तारण का अधिकार वन निगम को होगा।

#### निविदा की स्वीकृति:

13- सशर्त निविदा स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम को होगा।

14- उच्चतम दर की निविदा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम को होगा।

## जमानत व अनुबन्ध:

15- (अ) सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना हाथ से देने पर सूचना प्राप्त कराने की तिथि के 07 दिन के अन्दर तथा रजिस्ट्री द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना भेजने पर रजिस्ट्री भेजने के 10 दिन के अन्दर उसके पक्ष में स्वीकृत लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत बतौर जमानत एवं उस पर देय जी0एस0टी0 सहित जमा करना होगा। वर्षा से प्रभावित श्रेणी के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिये जमानत की धनराशि लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत होगी। इसके साथ ही क्रेता को प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के साथ अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक लाट की देय जमानत जमा न होने की दशा में लाट की विक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं जमा बंधक धनराशि स्वतः जब्त समझी जायेगी जिसकी कोई सूचना निविदादाता को देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा। ऐसी लाट की पुनः विक्री करने के लिये वन निगम स्वतंत्र होगा। देय जमानत की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का बना हुआ बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय स्थल वाराणसी, दुद्धी एवं झाँसी पर देय हो, स्वीकार किया जायेगा। लाट की निविदा के साथ जमा बन्धक धनराशि को देय जमानत में समायोजित किया जा सकता है।

(ब) किसी अन्य व्यक्ति, फर्म कम्पनी या अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की ओर से निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अनुबन्ध करने के समय मुख्तारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित डीड या अन्य वैधानिक विलेख जिसमें उसे यह शक्ति दी गयी हो मूल रूप में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में उसके पक्ष में की गयी विक्री को निरस्त करके जमा बंधक धनराशि जब्त की जा सकती है। निविदादाता को अपने स्थायी पते के प्रमाण हेतु आधार/अन्य मान्य अभिलेख की प्रति अनुबंध के समय देना अनिवार्य होगा।

(स) यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा 10 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में रूपया पांच हजार जमा करने के उपरान्त संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उ0प्र0 वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। **उक्त धनराशि पर जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगा।**

## जमानत एवं किश्त हेतु अनुमानित विक्रय मूल्य का आगणन:

16- जमानत तथा किश्तों का निर्धारण तथा अनुबन्ध की कार्यवाही प्रति वास्तविक बोरा 30 किलो ग्राम वजन मानते हुए समय से पूरी की जायेगी परन्तु शत प्रतिशत वजन के पश्चात किश्त की राशि का आकलन वास्तविक वजन के आधार पर करते हुए जमानत धनराशि में आवश्यकतानुसार धनराशि जमा कराकर/जमानत की अतिरिक्त धनराशि लाट के प्रथम किश्त में समायोजन किया जायेगा।

## विक्रय मूल्य का भुगतान एवं माल के निकासी:

### किश्त/विक्रय मूल्य का भुगतान तथा निकासी की मात्रा:

17- देय जमानत जमा करने एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के स्तर से विक्रय मूल्य की किश्त जमा करने एवं लाट से तेन्दू पत्ता निकासी हेतु आदेश जारी किया जायेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा जारी किये गये निकासी आदेश में दर्शित देय धनराशि का भुगतान एवं लाट से तेन्दू पत्ता के निकासी क्रेता को निम्नलिखित प्रकार से करनी होगी।

### (अ) विक्रय मूल्य का भुगतान:

अनुमानित विक्रय मूल्य के भुगतान हेतु किश्तें निम्न प्रकार से निर्धारित की जायेंगी:-

#### 1. जून/जुलाई/अगस्त में बिक्री की लाटों के लिए:-

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान चार बराबर किश्तों में करना होगा, जो 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त विक्री की स्वीकृति की तिथि से 41वें दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो बराबर किश्तों में करना होगा। प्रथम किश्त 41वें दिन तथा दूसरी किश्त 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी।

### 2. सितम्बर/अक्टूबर में बिक्री की लाटों के लिए:-

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान तीन बराबर किशतों में करना होगा, जो 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किशत बिक्री की स्वीकृति की तिथि से 41वें दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो बराबर किशतों में करना होगा। प्रथम किशत 41वें दिन तथा दूसरी किशत 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी।

### 3. नवम्बर/दिसम्बर एवं उसके बाद बिक्री की लाटों के लिए:-

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो बराबर किशतों में करना होगा, जो 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किशत बिक्री की स्वीकृति की तिथि से 41वें दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान एक किशत में करना होगा। प्रथम किशत 41वें दिन तथा दूसरी किशत 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी।

**नोट:-** यदि अन्तिम किशत जमा करके निकासी करते समय विक्रय मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो अन्तर की धनराशि जमा करने के बाद ही क्रेता को निकासी दी जायेगी। यदि अन्तिम निकासी में विक्रय मूल्य अनुमानित मूल्य से कम होता है तो ऐसी अधिक जमा धनराशि क्रेता के प्रार्थना पत्र देने पर उसे वापस किया जायेगा।

4. यदि क्रेता द्वारा कय की गयी लाट/लाटों का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य प्रथम किशत की देय तिथि तक जमा किया जाता है, तो उसे सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की धनराशि पर एक प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ब) किसी भी समय जमा किशत की धनराशि (जमानत को छोड़कर) से अधिक मूल्य के माल की निकासी नहीं दी जायेगी। यदि कोई किशत जमा है तो इसके विरुद्ध निकासी, अगली किशत के देय तिथि से पूर्व तक ही क्रेता द्वारा ली जा सकती है, अर्थात् क्रेता द्वारा निर्धारित किशत की धनराशि जमा करने के उपरान्त यदि अगली किशत देय हो जाती है तो पूर्व में जमा किशत की धनराशि के विरुद्ध तब तक कोई निकासी नहीं दी जायेगी, जब तक देय किशत क्रेता द्वारा जमा न कर दी जाय। अन्तिम देय किशत की तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी, परन्तु मार्च से जून के मध्य 30 दिन के अन्दर ही सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी।

(स) यदि क्रेता निर्धारित किशत से अधिक धनराशि जमा कर अधिक जमा धनराशि के अनुरूप निकासी लेना चाहता है तो उसे इस प्रतिबन्ध के साथ निकासी दी जा सकेगी कि उस अतिरिक्त धनराशि का समायोजन उक्त लाट की अन्तिम देय किशत में किया जायेगा और इस प्रकार अतिरिक्त जमा धनराशि के अनुरूप निकासी आगामी निर्धारित किशत की तिथि से पूर्व ही करनी आवश्यक होगी।

(द) क्रेता द्वारा निर्धारित किशत जमा करने के उपरान्त (अन्तिम किशत छोड़कर) अगली किशत की देय तिथि से पूर्व तेन्दू पत्ता की निकासी लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा निकासी की देय अन्तिम तिथि से निकासी तक वास्तविक गोदाम किराया जो भी देय हो, प्रतिमाह लिया जायेगा। माह के अंश को उक्त गणना के लिये पूर्ण माह माना जायेगा। यदि 31 मार्च तक निकासी नहीं ली जाती है तो छः(06) पैसा प्रति सौ रूपये प्रति दिन की दर से प्लेट रेंट लेते हुए अधिकतम तीस (30) दिनों की मियाद वृद्धि की अनुमति सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी।

### शून्य काल:

यदि वन निगम किन्ही कारणों से जो उसके नियंत्रण से परे हो, अधिकतम 60 दिन तक लाट की निकासी देने में असमर्थ होता है तो जितनी अवधि तक निगम अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत निकासी देने में असमर्थ रहा उतनी अवधि को शून्य काल मानते हुए क्रेता को किशत जमा करने एवं निकासी हेतु मियाद वृद्धि दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार के शून्य काल के कारण क्रेता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी एवं न ही बिक्री संविदा निरस्त होने योग्य होगी। जिस अवधि के लिये शून्य काल घोषित किया जायेगा उतने ही दिनों से निकासी की अवधि तथा अगली किशतों की देयता की अवधि भी बढ़ जायेगी, परन्तु किसी भी हालत में बिना धनराशि जमा किये गये निकासी नहीं की जायेगी।

समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना:

**18— (अ)** यदि शर्त संख्या 17 के अनुसार निर्धारित किश्त की देय तिथि तक कोई क्रेता किश्त की धनराशि जमा नहीं करता है तो किश्त की देय तिथि से 07 दिन के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त जमा कर सकता है, परन्तु यदि क्रेता किश्त की देय तिथि से सात दिन के अन्दर किश्त जमा नहीं करता है और उसे बाद की तिथि से जमा करना चाहता है तो उसे इस आशय का लिखित आवेदन पत्र कारण दर्शाते हुये किश्त की देय तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रभागीय कार्यालय में देना होगा। ऐसे लिखित आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रूपया 100.00 (एक सौ रूपये) मात्र तथा उस पर देय जी0एस0टी0 नकद या सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम पर बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करके धनप्राप्ति रसीद लेना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन शुल्क के उसके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उसने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है।

क्रेता द्वारा उर्पयुक्त विधि से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर विचार करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा 06 पैसा प्रति सौ रूपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लेते हुये किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक अधिकतम 30 दिन की समय सीमा तक मियाद वृद्धि दी जा सकती है। इसके उपरान्त अगले 30 दिन तक पूर्व निर्धारित दर पर मियाद वृद्धि देने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को होगा। इसके पश्चात विशेष परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क सहित मियाद वृद्धि देने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम लखनऊ को होगा।

**(ब)** शर्त सं0 18 (अ) के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नहीं करता है या निर्धारित विधि के अनुसार बड़ाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किश्त जमा नहीं करता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। क्रेता को उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा।

**(स)** शर्त 18 (ब) के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर प्रथम क्रेता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन उक्त क्रेता की निगम में जमा वापसी योग्य अन्य कोई धनराशि यदि हो, से की जायेगी।

**(द)** यदि शर्त संख्या— 18 (स) में उल्लिखित प्रक्रिया के उपरान्त भी निगम को कम प्राप्त हो रहे मूल्य की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो, ऐसी अवशेष धनराशि की वसूली क्रेता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी।

**निकासी की अवधि वृद्धि एवं गोदाम किराया:**

**19—** यदि कोई क्रेता लाट की सम्पूर्ण देय धनराशि जमा कर देता है परन्तु शर्त 17 (ब) के अनुसार निर्धारित अवधि में लाट के सम्पूर्ण माल की निकासी नहीं ले पाता है तो 2 रु0 प्रति वास्तविक बोरा प्रति माह की दर से गोदाम किराया लेकर निकासी हेतु अधिकतम 30 दिन की अवधि विस्तार संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा दिया जा सकता है। माह के अंश को गणना में पूरा माह माना जायेगा। उक्त के उपरान्त अगले 30 दिन तक संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक को तथा इससे अधिक अवधि विस्तार का अधिकार आगामी 15 मई तक के लिये महाप्रबन्धक, तेन्दू पत्ता को होगा। तत्पश्चात लाट की बिक्री हेतु किया गया अनुबन्ध स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं लाट में जमा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य जब्त कर लिया जायेगा। क्रेता द्वारा प्राप्त की गयी निकासी की समय वृद्धि में यदि गोदाम में कोई दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो उसका उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम को अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।

**20—** शर्त सं0 18 तथा 19 में निर्धारित विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कम करने का अधिकार उन्हें प्रतिनिधायित अधिकारों की सीमान्तर्गत नियमानुसार होगा।

### जमानत का समायोजन:

21— जमानत की धनराशि का समायोजन यदि क्रेता के विरुद्ध कोई अन्य बकाया न हो तो लाट की अन्तिम किश्त के विरुद्ध किया जा सकता है।

### निकासी का समय:

22— क्रेता को माल की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दी जायेगी।

### बैंक ड्राफ्ट द्वारा धनराशि का भुगतान:

23— विक्रय मूल्य का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के नाम बने बैंक ड्राफ्ट, जो संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय स्थान (दुद्धी को छोड़कर) पर देय होगी, द्वारा करना होगा। मूल्य के भुगतान की प्राप्ति रसीद वन निगम की रसीद पर संबंधित गोदाम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई वैध मानी जायेगी। केवल विशेष परिस्थितियों में अधिकतम रूपये एक हजार तक की धनराशि नकद ली जा सकती है। दुद्धी विक्रय प्रभाग की लाटों के लिये बैंक ड्राफ्ट प्रयागराज/इलाहाबाद में देय होना चाहिए।

### संयुक्त रूप से विभिन्न लाटों के लिये धनराशि जमा करते समय लाटों का विवरण दिया जाना:

24— यदि किसी क्रेता द्वारा किसी एक प्रभाग में कई लाटें एक साथ क्रय की गयी हों तथा उसके द्वारा किस्तों की धनराशि संयुक्त रूप से जमा की जाती है और विभिन्न लाटों में उसके समायोजन का विवरण नहीं दिया जाता है तो, उसके द्वारा जमा धनराशि का समायोजन गोदाम अधिकारी अपने विवेकानुसार क्रेता द्वारा क्रय की गयी लाटों के किस्तों के विरुद्ध करेंगे एवं उसका विवरण धन प्राप्ति रसीद में लाटवार अंकित कर दिया जायेगा। अतः अपने हित में क्रेता धनराशि जमा करते समय उसके विभिन्न लाटों में समायोजन के संबंध में लिखित विवरण गोदाम अधिकारी को प्रस्तुत करके धन प्राप्ति रसीद में अंकित करवा लें। कोई भी गोदाम अधिकारी स्वयं अपने गोदाम में क्रेता की जमा धनराशि बिना प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी दूसरे गोदाम हेतु हस्तान्तरित नहीं करेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात् गोदाम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जिस क्रेता की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है उस क्रेता का कोई बकाया तथा उसके द्वारा क्रय की गयी लाट की कोई किस्त हस्तान्तरण के समय बकाया नहीं है एवं धनराशि हस्तान्तरण की प्रविष्टि लाट लेजर में कर ली गयी है।

### कर भार:

25— (अ) भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दू पत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।

(ब) शर्त सं0 25 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर मण्डी शुल्क, जो वर्तमान में 2.5 प्रतिशत अथवा यथा संशोधित जैसी भी स्थित हो, की दर से देय हो, की वसूली क्रेता से पृथक से की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो उसकी भी वसूली संबंधित क्रेता से की जायेगी।

(स) वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की निर्धारित दरों पर वसूली क्रेता से की जायेगी।

### नियमों का पालन:

26— यह स्पष्ट किया जाता है कि उ0 प्र0 में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा।

### विविध:

27— शर्त संख्या 1, पत्तों के ग्रेड से संबंधित शिकायत के अतिरिक्त यदि अन्य किसी बात पर क्रेता द्वारा शिकायत की जाती है तथा लाट की जांच हेतु आवेदन किया जाता है, तो ऐसे आवेदन पर की जाने वाली जांच के लिये रूपया पांच प्रति वास्तविक बोरा की दर से देय जी0एस0टी0 अतिरिक्त सहित क्रेता को अग्रिम रूप से जमा करना होगा। यह धनराशि संबंधित प्रभाग के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट, जो संबंधित प्रभाग के कार्यालय स्थान



पर देय हो के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उक्त धनराशि के बिना क्रेता के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा कोई आवेदन पत्र दिया ही नहीं गया है। जांच के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय यदि क्रेता के पक्ष में है तो उस स्थिति में ऐसे निर्णय के 15 दिन के अन्दर उक्त धनराशि क्रेता को वापस कर दी जायेगी तथा शिकायत सही होने की सीमा तक विवादित बोरों को अलग कर लाट का मूल्य तदनुसार संशोधित किया जायेगा परन्तु शिकायत सही न पायी जाने की दशा में क्रेता उक्त धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। शिकायत एवं जांच प्रक्रिया से किस्त जमा करने की तिथियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28— इस बिक्री से संबंधित किसी भी लाट के संबंध में न्यायिक वाद केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उक्त लाट से संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता है।

29— किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गति विधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

30— राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकीदारी में प्रतिभाग करते हैं तो उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे।

यदि ठेका/पट्टा आवंटित होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसा ठेका/पट्टा निरस्त कर दिया जायगा।

#### **आर्विट्रेशन:**

31— शर्ता के पालन संबंधी विवाद में महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ मध्यस्थ (आर्विट्रेटर) होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम व उभय पक्षों को मान्य होगा।

**उत्तर प्रदेश वन निगम**

**उत्तर प्रदेश वन निगम**  
तेन्दूपत्ता की बिक्री हेतु निविदा प्रपत्र

लौगिंग प्रभाग का नाम.....

निविदा की तिथि.....

क्रमांक	लाट संख्या	इकाई/सेक्सन का नाम	तेन्दूपत्ता की मात्रा(वा0बोरा)	निविदा दर प्रति कि०ग्रा०	
				अंको में	शब्दों में
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

संलग्नक—बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....

बैंक का नाम..... धनराशि रुपये.....

मैंने तेन्दूपत्ता बिक्री से सम्बन्धित बिक्री सूची देख ली है और बिक्री शर्तें पढ़ एवं समझ ली है ।  
इन बिक्री शर्तों से मैं पूर्णतया सहमत हूँ ।

निविदादाता का पता साफ अक्षरों में

1— स्थायी पता

पत्राचार का पता  
(यदि स्थायी पते से भिन्न है)

निविदादाता का नाम .....

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

मोबाइल नं० .....

ई-मेल .....

**नोट:** 1. प्रश्नगत निविदा फार्म का उपयोग करने वाले व्यक्ति को निविदा फार्म का मूल्य 150.00 रुपये प्रति फार्म (कर सहित) की दर से क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज/इलाहाबाद के पक्ष में बने डिमाण्ड ड्राफ्ट जो इलाहाबाद पर देय हो के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

2. निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को जिस हैसियत से वह हस्ताक्षर कर रहा है उसका उल्लेख करना होगा। 'निविदादाता का नाम' के कालम में निविदादाता व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कम्पनी जैसी भी स्थिति हो, का नाम अंकित करना होगा ।